बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– रा०कृ०वि०यो०को०–30/2018– 340 /कृ0,पटना, दिनांक 25/01/2019

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना।** (+)

विषय : **वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत कुल 2000.00 लाख रूपये (बीस करोड़ रूपये) {केन्द्रांश 1200.00 लाख रूपये (बारह करोड़ रूपये) एवं राज्यांश 800.00 लाख रूपये (आठ करोड़ रूपये)} के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु निकासी एव व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत कुल 2000.00 लाख रूपये (बीस करोड़ रूपये) {केन्द्रांश 1200.00 लाख रूपये (बारह करोड़ रूपये) एवं राज्यांश 800.00 लाख रूपये (आठ करोड़ रूपये)} के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार के पत्रांक सी०पी०एस० 6–1/2017–एन.एफ.एस.एम. दिनांक–25.05.2017 द्वारा हरित क्रांति उप योजना में केन्द्रांश 62.39 करोड़ रू० एवं राज्यांश 41.59 करोड़ रू० कुल 103.98 करोड़ रू० उद्व्यय संसूचित किया गया था। उक्त उद्व्यय के विरूद्ध भारत सरकार के पत्रांक 1–4/2017–आर.के.वी.वाई. दिनांक–26.07.2017 के द्वारा केन्द्रांश मद में 31.20 करोड़ रूपये एवं पत्रांक 1–4/2017–आर.के.वी.वाई. दिनांक–20.02.2018 के द्वारा केन्द्रांश मद में 10.00 करोड़ रूपये कुल 41.20 करोड़ रूपये विमुक्त किया गया था। उक्त विमुक्त राशि में से केन्द्रांश मद में 28.72 करोड़ रूपये व्यय हुआ है। केन्द्रांश मद में 12.48 करोड़ रूपये अव्यवहृत अवशेष है एवं इसका समानुपातिक राज्यांश 8.32 करोड़ रूपये होता है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2017–18 की कुल अव्यवहृत अवशेष राशि 20.80 करोड़ रूपये है जिससे योजना कार्यान्वयन किया जायेगा।

3. भारत सरकार के पत्रांक 7–3/2018–आर.के.वी.वाई. दिनांक–02.05.2018 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 की अव्यवहृत अवशेष राशि को उन्ही कार्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय करने हेतु पुनर्वैधीकृत किया गया है।

4. हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत कार्यक्रम निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू० में)

क्र०	कार्यक्रम	सहायता दर	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
		चावल			
	समूह प्रत्यक्षण				
1	श्री विधि प्रत्यक्षण	रू० 3600/- प्रति एकड़	एकड़	15562.5	560.25
2	तनावरोधी प्रभेद	रू० 3600/- प्रति एकड़	एकड़	8750	315.00
3	पैडी ट्रांसप्लांटर प्रत्यक्षण	रू० 3600/- प्रति एकड़	एकड़	5000	180.00

	फसल पद्धति आधारित प्रत्यक्षण कार्यक्रम				
4	जीरो टिलेज / सीड ड्रील / ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई प्रत्यक्षण @ 3600/- प्रति एकड़ (खरीफ) जीरो टिलेज से गेहूँ का प्रत्यक्षण (रबी) रू० @ 2400/– प्रति एकड़	रू० 6000/- प्रति एकड़	एकड़	5250	315.00
	बीज वितरण				
5	अधिक उपजशील धान प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम (10 वर्ष से कम)	रू० 20/– प्रति कि०ग्रा० अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	क्वीं०	400	8.00
6	अधिक उपजशील धान प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम (10 वर्ष से अधिक)	रू० 10/– प्रति कि०ग्रा० अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	क्वीं०	900	9.00
	पोषण प्रबंधन एवं मृदा सुधारक				
7	जैव उर्वरक का वितरण	रू० 120/– प्रति एकड़ अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	एकड़	2447.5	2.937
	एकीकृत कीट प्रबंधन				
8	पौधा संरक्षण रसायन, जैव कीटनाशी / जैव घटक	रू० 200/– प्रति एकड़ अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	एकड़	6662.5	13.325
9	खरपतवारनाशी	रू० 200/– प्रति एकड़ अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	एकड़	1437.5	2.875
	परिसम्पति निर्माण				
10	पम्पसेट (डीजल / बिजली) 10 एच.पी. तक	रू० 10000/–प्रति ईकाई अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	संख्या	1000	100.00
11	रोटावेटर (tractor driven above 35 BHP)	सामान्य रू० 50000/–प्रति ईकाई अथवा लागत का 40% जो भी कम हो	संख्या	184	92.00
		अनु०जाति / अनु०जनजाति रू० 63000/– प्रति ईकाई अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	संख्या	30	18.90
	कुल (चावल)				1617.287
	गेहूँ				
1	जीरो टिलेज से गेहूँ का प्रत्यक्षण (समूह प्रत्यक्षण)	रू० 3600/- प्रति एकड़	एकड़	8000	288.00
2	अधिक उपज वाले गेहूँ प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम (10 वर्ष से कम)	रू० 20/– प्रति कि०ग्रा० अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	क्वीं०	2057	41.14
	परिसम्पति निर्माण				
3	मल्टी क्रॉप थ्रेसर (tractor driven above 35 BHP)	सामान्य रू० 50000/–प्रति ईकाई अथवा लागत का 40% जो भी कम हो	संख्या	72	36.00
		अनु०जाति / अनु०जनजाति रू० 63000/– प्रति ईकाई अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	संख्या	12	7.56
4	HDPE laminated woven layflat tubes (Maximum 100 metre/ Rs. 2000/-)	रू० 20/– प्रति मीटर अथवा लागत का 50% जो भी कम हो	मीटर	50065	10.013
	कुल (गेहूँ)				382.713
	कुल योग (चावल + गेहूँ)				2000.00

5. राज्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची की विवरणी निम्न प्रकार है:–

i. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कुल 2000.00 लाख रूपये का जिलावार / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

ii. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कुल जिलावार / कोटिवार वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है।

iii. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में श्री विधि से धान प्रत्यक्षण का जिलावार / मदवार / कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–3 के रूप में संलग्न है।

iv. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में धान के तनावरोधी प्रभेदों का प्रत्यक्षण का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–4 के रूप में संलग्न है।

v. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में पैडी ट्रांसप्लांटर से धान का प्रत्यक्षण का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–5 के रूप में संलग्न है।

vi. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में जीरो टिलेज/सीड ड्रील मशीन द्वारा धान की सीधी बुआई का प्रत्यक्षण का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–6 (क) के रूप में संलग्न है।

vii. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में जीरो टिलेज से गेहूँ का प्रत्यक्षण (फसल पद्धति आधारित) का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–6 (ख) के रूप में संलग्न है।

viii. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में जैव उर्वरक का वितरण का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–7 के रूप में संलग्न है।

ix. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में पौधा संरक्षण रसायन/जैव कीटनाशी/जैव घटक का वितरण का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–8 (क) के रूप में संलग्न है।

x. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में खरपतवारनाशी वितरण का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–8 (ख) के रूप में संलग्न है।

xi. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में पम्पसेट (डीजल/बिजली) 10 एच.पी. तक का वितरण का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–9 (क) के रूप में संलग्न है।

xii. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में रोटावेटर (tractor driven above 35 BHP) का वितरण का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–9 (ख) के रूप में संलग्न है।

xiii. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में जीरो टिलेज से गेहूँ का प्रत्यक्षण का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–10 के रूप में संलग्न है।

xiv. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में मल्टी क्रॉप थ्रेसर (tractor driven above 35 BHP) का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–11 (क) के रूप में संलग्न है।

xv. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में HDPE laminated woven layflat tubes का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–11 (ख) के रूप में संलग्न है।

xvi. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बीज वितरण कार्यक्रमों का कुल वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–12 के रूप में संलग्न है।

xvii. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में अधिक उपजशील धान प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम (10 वर्ष से कम) का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–12 (क) के रूप में संलग्न है।

xviii. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में अधिक उपजशील धान प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम (10 वर्ष से अधिक) का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–12 (ख) के रूप में संलग्न है।

xix. हरित क्रांति उप योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2018–19 में अधिक उपजशील गेहूँ प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम (10 वर्ष से कम) का जिलावार/मदवार/कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–12 (ग) के रूप में संलग्न है।

6. **फसल पद्धति आधारित प्रत्यक्षण कार्यक्रम :–** :–यह प्रत्यक्षण पूरे फसल चक्र के लिए एक ही खेत पर आयोजित किया जाता है। इसके अन्तर्गत खरीफ मौसम में जीरो टिलेज मशीन/सीड ड्रील मशीन/सीड ड्रम के द्वारा धान की सीधी बुआई का एवं धान की कटनी के बाद उसी खेत में जीरो टिलेज से गेहूँ की खेती का प्रत्यक्षण आयोजित किया जायेगा।

7. **फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन :–**

(i) प्रत्यक्षण के लिये क्लस्टर का न्यूनतम रकवा यथासंभव 25 एकड़ का होगा। प्रत्यक्षण स्थल पर पर्याप्त सिंचाई सुविधा हो एवं जहाँ तक संभव हो यह सड़क के किनारे अवस्थित हो।

(ii) चयनित कलस्टर के सभी इच्छुक कृषकों को कम से कम 25 डिसीमल तथा अधिक–से–अधिक एक एकड़ क्षेत्र के लिए प्रत्यक्षण का लाभ देय होगा। जिन कृषकों का एक एकड़ से अधिक जमीन कलस्टर में आता हो उनको अन्य कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जायेगा।

(iii) चयनित कलस्टर के सभी कृषक इस कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे।

(iv) किसानों के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड अवश्य होना चाहिए। यदि नहीं है तो प्रत्यक्षण से पूर्व मिट्टी की जाँच कराकर SHC निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

(v) चयनित किसान के द्वारा भूमि, श्रम, सिंचाई सुविधा एवं प्रत्यक्षण मॉडल के अनुरूप आपूर्ति किये उपादानों के अतिरिक्त अन्य उपादान, जो प्रत्यक्षण के लिए आवश्यक है, उपलब्ध कराना होगा।

(vi) कृषकों के चयन में यह ध्यान रखा जायेगा कि पूर्व के वर्षों में इस योजना अन्तर्गत लाभान्वितों का चयन वर्त्तमान वर्ष में नहीं किया जाय। उदाहरणस्वरूप यदि पिछले वर्षो के अधीन जिन ग्रामों में इस मद का प्रत्यक्षण हुआ है इस वर्ष इससे भिन्न ग्रामों का चयन किया जाय।

(vii) प्रत्यक्षण कार्यक्रमों के लिए कृषि निदेशालय, बिहार के ज्ञापांक–2573 दिनांक–11.05.2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए प्रत्यक्षण मॉडल उपलब्ध कराया गया है। इस मॉडल के अनुसार उपादानों का वितरण किया जायेगा। जिस मॉडल में सूक्ष्म पोषक तत्व/कीटनाशी/खरपतवारनाशी आदि के संदर्भ में किसी कृषि रसायन/जैव उर्वरक के नाम का उल्लेख नहीं है ऐसे मॉडल के लिए स्थानीय स्थिति के अनुरूप सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण/कृषि विज्ञान केन्द्र की सलाह से आवश्यक रसायन/जैव पदार्थ जिला कृषि पदाधिकारी लाभान्वित कृषकों को उपलब्ध करायेंगे।

(viii) प्रत्यक्षण कार्यक्रम अंतर्गत उपादानों का वितरण कार्यक्रम यथासंभव बामेती/आत्मा द्वारा आयोजित प्रखंड स्तरीय शिविर में किया जायेगा। यदि किसी कारणवश कुछ किसान शिविर में उपादानों का क्रय नहीं कर पाते हैं तो जिले में अनुज्ञप्ति प्राप्त कृषि उपादान विक्रेताओं से उपादान क्रय कर सकते है। शिविर में प्रत्यक्षण मॉडल एवं प्रखंडवार लक्ष्य के अनुसार गुणवत्तायुक्त उपादानों की व्यवस्था की पूर्ण जबाबदेही जिला कृषि